

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं.32/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 07.08.2020

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि., नासिक डिविजन (जीएसटीएन 27AAACH3641R1Z7), ओझर टाउनशिप (PO), नाशिक-422207.	फ़ा सं. DRI/MZU/ CI/Int-77/2018/ Nasik दिनांक 09.06.2020.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III) (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
2.	मै श्री कृष्णा एंटरप्राइसेस, सं. 23, कांबिपुरा, केंगेरी, बैंगलोर-560074, मै. श्री कृष्णा एंटरप्राइसेस, ब्रांच: फ्लैट सं. 404, E-विंग, संतोष कॉम्प्लेक्स, 4 ^थ तल, अगसेन रोड, दीवा (पूर्व), ठाणे,	फ़ा सं. DRI/BZU/ S- IV/Int-16/2016 दिनांक 05.11.2019. (SCN No. DRI/BZU/52/ 2019)	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, बैंगलोर सिटी कस्टम, सीआर बिल्डिंग, क्वीनस रोड, बैंगलोर.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.

महाराष्ट्र-400612 और श्री देवानन्द सुरेखा, प्रोपराइटर, मै श्री कृष्णा एंटरप्राइसेस, A-303, टैम्पल ट्रीस अपार्टमेंटस, कनपुरा मेन रोड, जरगनाहल्ली, बैंगलोर-560078.			
--	--	--	--

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-18/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बैंगलोर और मुंबई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।